

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर**

(पीठासीन अधिकारी राजस्व लोक अदालत 2016/कैम्प कोर्ट) कैम्प 2756

प्रकरण संख्या 152/16

**आदेश**

दिनांक 20/6/16

पार्सी के खाला हुकूमती प्रार्थनापत्र एवं पत्रवारी 2756 व मूअनि 2756 की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार 2756 की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम 109 वरुडी व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी संख्या 2069-72 में खाला संख्या 51 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद के आदेश दिए जाते हैं:-

क.स.	ग्राम	खाला	वर्तमान प्रविष्टि	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	109 वरुडी	51	109 वरुडी	109 वरुडी

**श्रीगंगानगर लोक अदालत**

उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर  
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत एवं  
(कलाश/तन्म शर्मा)

कमांक:- रा.ल.अ./कैम्प/2016/807-08

दिनांक:-

1. तहसीलदार/नायब तहसीलदार 2756 को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. पार्सी श्री श्रीगंगानगर/नायब तहसीलदार/कैम्प को भेजना है।

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत एवं  
उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर